अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते प्रा.पत्र पर आदेश हेतु दि. 12/10/23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

12/10/23 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से पत्रावली में शा. मि. रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 83/2022

1. श्योनारायण पुत्र छोटू
2. कानाराम पुत्र छोटू
3. कालूराम पुत्र श्योनारायण
4. चंता पत्नि कालूराम
5. भागचंद पुत्र श्योनारायण
6. शारदा पत्नि भागचंद

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम टिहरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. उमराव पुत्र मूला
2. गणेश पुत्र छगना
3. गोरधन पुत्र छगना
4. चंता देवी पुत्री मूला
5. नोरती पत्नि मूला
6. प्रधान पुत्र मूला
7. मोहनी देवी पुत्री मूला
8. रणजीत पुत्र छगना
9. सुमित्रा देवी पत्नि विश्राम
10. नाबालिग ममता पुत्री विश्राम जरिये सरंक्षक माता सुमित्रा देवी
11. नाबालिग अर्जुन पुत्र विश्राम जरिये सरंक्षक माता सुमित्रा देवी
12. नाबालिग कमल पुत्र विश्राम जरिये सरंक्षक माता सुमित्रा देवी
13. घीसा पुत्र श्रवण
14. हनुमान पुत्र श्रवण
15. हीरा पुत्र श्रवण

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम टिहरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 12/10/2023

उपस्थितः डॉ. रामदेव गुर्जर प्रार्थीगण अभिभाषक

अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील डॉ. रामदेव गुर्जर के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान ख0नं0 38 रकबा 0.5339 हैक्टेयर व ख0नं0 37 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै0मु0चाह भूमि भूमि ग्राम टिहरी पटवार क्षेत्र खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं0 1 से 12 की खातेदारी भूमि ख0नं0 39, दक्षिण/पूर्व दिशा में गै0मु0 आबादी भूमि ख0नं0 50 एवं पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं0 13 से 15 की कृषि भूमि ख0नं0 36 की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र वर्णित अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है एवं सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते है जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 38 व 37 का सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2020 को करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण को आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 01.07.2020 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा किया गया जिसके पश्चात् अप्रार्थीगण आये दिन लगातार नींव, सींव, मेड़ को लेकर विवाद करते है एवं 09.05.2022 को जबरन प्रार्थीगण की आराजी में अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये तब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी संयुक्त सह–खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी भूमि का नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 7, 10 लगायत 15 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 1, 3, 5, 6, 8, 9 एवं 14 के द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी एक पक्षीय बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 एवं उनके परिवारजन आये दिन प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की मेंड उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते है जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 38 व 37 का सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2020 को करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में कब्जा अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की संयुक्त सह–खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी भूमि का नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेश के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में जारी करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के संबंध मे गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम टिहरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर मे स्थित कृषि भूमि वर्तमान ख0नं0 38 रकबा 0.5339 हैक्टेयर व ख0नं0 37 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै0मु0चाह भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा मे वर्तमान ख0नं0 38 रकबा 0.5339 हैक्टेयर व ख0नं0 37 रकबा 0.0485 हैक्टेयर का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम टिहरी तहसील किशनगढ़ जिला मे स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि वर्तमान ख0नं0 38 रकबा 0.5339 हैक्टेयर व ख0नं0 37 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै0मु0चाह भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी मे वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकार कि उपस्थिति मे पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12/12/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)